

फा.सं. ए-42013/24/2019-प्रशा.

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्थापना प्रभाग

पंचशील भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 जुलाई, 2021

आदेश

विषय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री को कार्य आवंटन ।

माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित कार्य माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल को आवंटित किए हैं ।

2. निम्नलिखित पैरा 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर परंतु तारांकित संसद प्रश्न और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों सहित सभी मामले राज्य मंत्री के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे । तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री को संबोधित वीआईपी संदर्भ सीधे उन्हें प्रस्तुत किए जाएंगे ।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के स्तर पर निम्नलिखित मामलों का निपटान किया जाएगा:
 - क. सभी संबंधित मामले:
 - i. आश्वासन (पूर्ति/समय का विस्तार, आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध)
 - ii. विशेष उल्लेख
 - iii. अतारांकित संसद प्रश्न
 - iv. वार्षिक रिपोर्ट/नियम/विनियम आदि निर्धारित करना
 - v. दस्तावेजों का प्रमाणीकरण
 - ख. राजभाषा से संबंधित मामले
 - ग. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री को संबोधित वीआईपी संदर्भ ।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी फाइलें इस कार्य आवंटन के अनुसार ही मंत्रियों को प्रस्तुत कराई जाएं ।
5. इसे माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(अशोक कुमार) ..

संयुक्त सचिव (प्रशा.)

दूरभाष: 011-26492248

सेवा में,

सचिव, खाप्रउ/अपर सचिव, खाप्रउ/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिवों/आर्थिक सलाहकार/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निदेशकों/ उप-सचिवों/सभी अनुभाग ।

प्रतिलिपि:

1. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
2. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी
3. माननीय मंत्री, खाप्रउ के निजी सचिव/माननीय राज्य मंत्री (खाप्रउ) के निजी सचिव

(अशोक कुमार) ..

संयुक्त सचिव (प्रशा.)